सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 29, शुक्रवार, *शाके 1946*-सितम्बर 20, *2024* *Bhadra 29, Friday, Saka 1946- September 20, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, अगस्त 20, 2024

संख्या प. 2(4)वन/2023 :- चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन -भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा उसके किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है ;

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 की धारा 29,उप धारा (1)के अन्तर्गत रक्षित वन(Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है ;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्व नही किये गये है ;

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारो की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्व किया जाना आवश्यक है, परन्तु चुँकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारो को क्षति पहुँचाने की आशंका है ;

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटिलमेन्ट ऑफिसर /असिस्टेन्ट फोरेस्टर सेटलमेन्ट आफिसर को पूवोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारो की जांच करके उन्हें लेखबद्व करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साक्षय उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6,7,8,10,11 (1) 12,13,14,17 तथा 19 में प्रवाहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण मे राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारो में किसी भी प्रकार की कमी नही आवेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियो के अग्रेतर अनुसरण मे यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरो को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रकिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि

अथवा भवन निर्माण अथवा पशु पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्व करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

अशोक कुमार योगी,

शासन उप सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र.स.	ब्लाक नाम	तहसील नाम	जिला	दिशा	दिशावार सीमा विवरण	विवरण		
						ग्राम	खसरा नंबर	क्षैत्रफल
1	गोल ई	राहुवास	दौसा	उत्तर- ख.न. 116/17 सिवायचक (बंजड भूमि), पूर्व- ख.न. 24 वन भूमि दक्षिण- ख.न 24 वन भूमि पश्चिम-ख.न. 21 वन भूमि		गोदावास	115/17 किस्म-बंजड	3.0207
कुल क्षेत्रफल								**3.0207**

क्षेत्रीय वन अधिकारी
लालसोट

उप वन संरक्षक
दौसा

द्वितीय अनुसूची
पेडो की सुची

क्र.सं.	बोटेनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Acacia tortilis	टोटलिस
2	Acacia Nilotica	देशी बबूल
3	Ziziphus Numelaria	झडबेरी
4	Holoptelea integrifolia	चुरेल

क्षेत्रीय वन अधिकारी
लालसोट

उप वन संरक्षक
दौसा

परिशिष्ट-क

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक,द्वारा प्रमाण-पत्र

वन खण्ड - गोल ई
रेंज - लालसोट
वनमण्डल - दौसा

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण बंजड वन विभाग के नाम दर्ज है। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बर का विवरण दर्शाया गया है।
2. उक्त भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 कि तहत प्रत्यावर्तन प्रकरण Diversion of 3.0207 Ha of forest land in favour of Public Works Department Rajasthan Jaipur for Construction of Missing Link Road from NH 148 to Moroli via Peepli Patalwas Koliwada Dob Paplaj Mata Sar Dhaun (MDR-145) hn 9.00 to 15.00, in the State of Rajasthan (Total Length 4.530km) के बदले प्राप्त हुई है।
3. इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है।
4. वन खण्ड में प्रमुख प्रजातियों में टोटलिस, देशी बबूल, चुरेल एवं झडबेरी है।
5. समिपवर्ती स्थित क्षेत्र राजस्व सिवायचक बंजड व वन भूमि भूमि है। चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 5 में कर दिया गया है।
6. वन खण्ड के वांछित मानचित्र (नक्षे) संलग्न है। एवं विज्ञप्ति में दर्शाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा को नक्षें में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र को जीटी शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
7. उल्लेखित वन क्षेत्रों को कानूनी रूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे की इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्व हो सके।
8. उक्त भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाषन नही हुआ है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी **उप वन संरक्षक**
लालसोट **दौसा**

Government Central Press, Jaipur.